[**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड** (i) **में प्रकाशनार्थ**]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(**राजस्व विभाग**)
[**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड**]

अधिसूचना सं. 3/2019 एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1260(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, "संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथा विनिर्दिष्ट "विशेष प्रवर्ग राज्यों" के मामले में,जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के पहले परंतुक" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1260(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।